न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 33/ 2018 जिला दौसा

जगदीश पुत्र भागीरथ जाति मीना निवासी ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट्

बनाम

1. गंगाबिशन पुत्र गैंदा
2. कल्ली पत्नी रामवतार
3. मीठाराम पुत्र हजारी
4. सीताराम पुत्र हजारी
5. आशाराम (नाबालिग) पुत्र रामवतार जरिए संरक्षक माता कल्ली देवी पत्नि रामवतार
6. नारायणी पत्नी स्व0 हजारी
7. कैलाश पुत्र मूल्या
8. घासी पुत्र नानगा
9. नारायण उर्फ हरीनारायण पुत्र नानगा
10. प्रभू पुत्र नानगा
11. मोहरपाल पुत्र नानगा
12. रतनलाल पुत्र मोहरपाल
13. प्रसादीलाल पुत्र मोहरपाल
14. विनोद कुमार पुत्र मोहरपाल
15. पार्वती पत्नि मोहरपाल
16. कनीराम पुत्र परसा
17. रामजीलाल पुत्र परसा
18. गोपाल पुत्र परसा
19. गिर्राज पुत्र परसा
20. भरता पुत्र तुलसा
21. श्रीराम पुत्र तुलसा
22. प्रहलाद पुत्र तुलसा
23. राधाकृष्ण पुत्र तुलसा
24. रामस्वरूप पुत्र तुलसा
25. हीरालाल पुत्र तुलसा
26. रामनारायण पुत्र देवीराम
27. रामकृष्ण पुत्र देवीराम

समस्त जाति मीना निवासीगण ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा।

28. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्टस्

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार दौसा दिनांक 14.05.2018 प्रकरण संख्या 8/2018 जो रिमाण्ड नामान्तरकरण संख्या 14 व 40 में किया गया है।

उपस्थित –

1 श्री अशोक कुमार जोशी, वकील अपीलान्ट

2 श्री श्यामबाबू पारीक वकील रेस्पोडेण्ट नं. 1 से 6, 26 एवं 27 की ओर से।

3 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

अपील संख्या 34/2018 जिला दौसा

1. श्री कैलाश पुत्र स्व0 श्री मूल्या
2. श्री घासी पुत्र स्व0 श्री नानगा
3. श्री नारायण उर्फ हरिनारायण पुत्र स्व0 श्री नानगा
4. श्री प्रभू पुत्र स्व0 श्री नानगा
5. श्री मोहरपाल पुत्र स्व0 श्री नानगा

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

Scanned by CamScanner

1. श्री रतनलाल पुत्र श्री मोहरपाल,
2. श्री प्रसादीलाल पुत्र श्री मोहरपाल
3. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मोहरपाल
4. श्री पार्वती पत्नी श्री मोहरपाल
5. श्री कनीराम पुत्र परसा
6. श्री रामजीलाल पुत्र परसा
7. श्री गोपाल पुत्र परसा
8. श्री गिरीराज पुत्र परसा
9. श्री भरता पुत्र श्री तुलसा
10. श्रीराम पुत्र श्री तुलसा
11. श्री प्रहलाद पुत्र श्री तुलसा
12. श्री राधाकृष्ण पुत्र श्री तुलसा
13. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री तुलसा
14. श्री हीरालाल पुत्र श्री तुलसा
15. श्रीमती छोटी पत्नी श्री तुलसा **(फौत)**
समस्त जाति मीना निवासीगण ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा।
16. ग्राम पंचायत श्रीमा जरिये सरपंच तहसील लालसोट जिला दौसा।
17. श्री श्यामपाल पुत्र श्री देवीराम
18. श्री रामनारायण पुत्र श्री देवीराम
19. श्री रामकृष्ण पुत्र श्री देवीराम
समस्त जाति मीना निवासीगण ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा।
20. गंगाबिशन मीणा पुत्र गैंदा निवासी रायमलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
21. नारायणी पत्नी हजारी लाल निवासी रायमलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
22. मीठा लाल पुत्र श्री हजारीलाल, निवासी रायमलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
23. सीताराम पुत्र श्री हजारीलाल निवासी रायमलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
24. कल्ली देवी पत्नी रामावतार मीणा निवासी रायमलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
25. आशा राम पुत्र रामावतार नाबालिक जरिये माता कल्ली देवी निवासी रायमलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
26. जगदीश पुत्र स्व0 श्री भागीरथ मीणा निवासी श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा।
27. तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्टस्

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 14.05.2018 जो तहसीलदार दौसा जिला दौसा प्रकरण संख्या 8/18 में पारित किया एवं ग्राम श्रीमा के नामान्तरकरण संख्या 14 को खारिज किया।

उपस्थित –

1 श्री जयसिंह राजावत, वकील अपीलान्ट
2 श्री श्यामबाबू पारीक वकील रेसपोडेण्ट नं. 20 से 25 की ओर से।
3 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

अपील संख्या 35/2018 जिला दौसा

1. श्री कैलाश पुत्र स्व0 श्री मूल्या
2. श्री घासी पुत्र स्व0 श्री नानगा
3. श्री नारायण उर्फ हरिनारायण पुत्र स्व0 श्री नानगा
4. श्री प्रभू पुत्र स्व0 श्री नानगा
5. श्री मोहरपाल पुत्र स्व0 श्री नानगा
समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री रतनलाल पुत्र श्री मोहरपाल,
2. श्री प्रसादीलाल पुत्र श्री मोहरपाल
3. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मोहरपाल
4. श्री पार्वती पत्नी श्री मोहरपाल
5. श्री कनीराम पुत्र परसा

Scanned by CamScanner

6. श्री रामजीलाल पुत्र परसा
7. श्री गोपाल पुत्र परसा
8. श्री गिरीराज पुत्र परसा
9. श्री भरता पुत्र श्री तुलसा
10. श्रीराम पुत्र श्री तुलसा
11. श्री प्रहलाद पुत्र श्री तुलसा
12. श्री राधाकृष्ण पुत्र श्री तुलसा
13. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री तुलसा
14. श्री हीरालाल पुत्र श्री तुलसा
15. श्रीमती छोटी पत्नी श्री तुलसा **(फौत)**
    समस्त जाति मीना निवासीगण ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा।
16. ग्राम पंचायत श्रीमा जरिये सरपंच तहसील लालसोट जिला दौसा।
17. श्री श्यामपाल पुत्र श्री देवीराम
18. श्री रामनारायण पुत्र श्री देवीराम
19. श्री रामकृष्ण पुत्र श्री देवीराम
    समस्त जाति मीना निवासीगण ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा।
20. गंगाबिशन मीणा पुत्र गैंदा निवासी रायमलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
21. नारायणी पत्नी हजारी लाल निवासी रायमलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
22. मीठा लाल पुत्र श्री हजारीलाल, निवासी रायमलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
23. सीताराम पुत्र श्री हजारीलाल निवासी रायमलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
24. कल्ली देवी पत्नी रामावतार मीणा निवासी रायमलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
25. आशा राम पुत्र रामावतार नाबालिक जरिये माता कल्ली देवी निवासी रायमलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
26. जगदीश पुत्र स्व0 श्री भागीरथ मीणा निवासी श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा।
27. तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

रेस्पोडेन्टस्

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 14.05.2018 जो तहसीलदार दौसा जिला दौसा प्रकरण संख्या 8/18 में पारित किया एवं ग्राम गौविन्दपुरा के नामान्तरकरण संख्या 40 को खारिज किया।

उपस्थित –

4 श्री जयसिंह राजावत, वकील अपीलान्ट
5 श्री श्यामबाबू पारीक वकील रेस्पोडेण्ट नं. 20 से 25 की ओर से।
6 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक –30.08.2022

यह तीनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 14.05.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। तीनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन तीनों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है ।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम श्रीमा स्थित आराजी के खातेदार सांवलिया, काल्या, गिरधारी व देवीराम के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 28.09.1971 को ग्राम पंचायत श्रीमा द्वारा भागीरथ, नानगा, गेन्दा, परसा व श्योपाल, रामनारायण, रामकृष्ण स्वीकार किया गया। इसी प्रकार ग्राम गोविन्दपुरा तहसील लालसोट स्थित आराजी के खातेदार बिरदा, सांवलिया, गिरधारी की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 40 ग्राम पंचायत द्वारा नानगा, भागीरथ, तुलसाराम, परसा, सांवलिया के नाम स्वीकार किया गया। उक्त दोनो नामान्तरकरणों की अपील उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज की दी जिसकी अपील अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर में होने पर दिनांक 26.09.2011 को उक्त दोनों नामान्तरकरणों को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड के आदेश दिये गये जिसकी अपील होने पर माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.01.2016 में अपील खारिज कर न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 26.09.2011 को यथावत रखा गया। तत्पश्चात्

Scanned by CamScanner

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 14.05.2018 को नामान्तरकरण संख्या 14 ग्राम श्रीमा एवं नामान्तरकरण संख्या 40 ग्राम गोविन्दपुरा को सांवल्या के वारिसान् के नाम तस्दीक करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह पृथक पृथक तीन अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 14.05.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया कि नामान्तरकरण संख्या 14 व 40 जो भागीरथ के पक्ष में किया गया था वह किस प्रकार से गलत था फिर भी रेस्पोडेण्ट्स का कोई लोकस स्टण्डाई नहीं होने के बावजूद भी उनको सांवल्या का वारिस मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। नामान्तरकरण संख्या 14 व 40 भागीरथ के नाम तस्दीक किया गया था और भागीरथ को सांवल्या ने अपने जीवनकाल में गोद ले लिया था तथा भागीरथ ने ही उनकी सेवा व मृत्यु पश्चात् सरस्म क्रिया कर्म द्वादशा किया था तथा पगडी दस्तुर भी भागीरथ के ही हुआ था। विवादित भूमि पर अपीलाण्ट अपने पिता के समय से काबिज है एवं आज तक काश्त कर रहा है। स्व0 सोनी पत्नी गैंदालाल एवं उसके वारिसान विवादित कृषि भूमि पर कभी काबिज काश्त नहीं रहे हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट की पूर्ण सहमति उपरान्त ही नामान्तरकरण संख्या 14 व 40 तस्दीक किये गये थे ना ही उनके द्वारा पूर्व में कोई आपत्ति की गई थी फिर भी लगभग 40 वर्षों बाद उक्त विवादित भूमि पर मौका जॉच किये बिना, वारिसों की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स का उक्त भूमि पर कोई हक व अधिकारी नहीं है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मीना समुदाय पर लागू नहीं होता है। अनुसूचित जनजाति में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः नामान्तरकरण सावंल्या के भाइयों व पुरूष उत्तराधिकारियों के नाम ही खोला जाना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा सांवल्या की पुत्री सोनी जो कि सावंल्या की मृत्यु के 5 वर्ष पूर्व ही फौत हो चुकी थी के वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोला है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः तीनों अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 14.05.2018 निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न दृष्टान्त भी पेश किये गयेः—

1. हिन्दू उत्तराधिकार नियम 1956 सेक्शन 2(2)—अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं। पुनर्विवाह करने पर विधवा एवं विवाहित पुत्री को अधिकार नहीं।
2. 2016(2) आर.आर.टी. 1437—हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं। पुत्री को अधिकार नहीं।
3. 2012(1) आर.आर.टी. 431—पुराने हिन्दू लॉ में भी पुत्री का अधिकार नहीं।
4. 2002(1) आर.आर.टी. 45—धारा 2(2) के अनुसार अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 लागू नहीं।
5. 2016(1) आर.आर.टी. 196—पुराना हिन्दू लॉ लागू होना।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस प्रस्तुत करते हुये बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम श्रीमा व ग्राम गोविन्दपुरा स्थित भूमि का खातेदार सावंल्या निःस्तान फौत हुआ था जिसकी विरासत का नामान्तरकरण भागीरथ पुत्र गिरधारी ने अपने आपको सावंल्या का दत्तक पुत्र बताते हुये अपने नाम तस्दीक करा लिये जबकि भागीरथ सावंल्या का दत्तक पुत्र नहीं है। भागीरथ ग्राम श्रीमा का सरपंच था जिसने पटवारी हल्का से मिलकर नामान्तरकरण अपने नाम करा लिया था। ग्राम पंचायत द्वारा न तो सावंल्या के विधिक वारिसान की जॉच की गई न ही उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का का समुचित अवसर दिया गया ना ही विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की जॉच की गई। उक्त नामान्तरकरण सरपंच व पटवारी हल्का की मिलीभगत कर स्वेच्छा से भरा गया है। उनका यह भी कहना है कि ग्राम गोविन्दपुरा स्थित भूमि के खातेदार मृतक सांवल्या की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 33 पक्षकारान् के पूर्वजों के नाम ग्राम पंचायत तलावगांव द्वारा दिनांक 21.04.73 को तस्दीक कर दिया गया था जिसको आज तक आपत्ति नहीं किये जाने के कारण अंतिम हो

Scanned by CamScanner

गया था। एक बार नामान्तरकरण तस्दीक या स्वीकार किये जाने पश्चात् पुनःविचार करने तथा नया नामान्तरकरण भागीरथ के नाम तस्दीक करने का ग्राम पंचायत को कोई विधिक अधिकार नहीं है। उनका यह भी कहना है कि नामान्तरकरण संख्या 40 पटवारी, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी लालसोट के आदेश दिनांक 12.12.3 के आधार पर भरा गया है लेकिन उक्त अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है एवं मृतक सांवल्या के पुत्र नहीं होने के कारण पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तहसीलदार दौसा द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः तीनों अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे । विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न दृष्टान्त भी पेश किये गये :–

(1) आर.आर.डी. 1984 पेज 338 पेरा 7 डी.बी. निर्णय
डी.एन.जे.राज0 2014(3) पेज 1210– गोद पुत्र हेतु दत्तक दहिता एवं दत्तक ग्रहिता आवश्यक है।

(2) आर.आर.टी. 2011–12 supp. पेज 246
आर.आर.डी. 1996 पेज 521 –राजस्व न्यायालय गोद पुत्र की घोषणा नही कर सकता। व्यवहार न्यायालय से घोषणा आवश्यकीय है।

(3) आर.आर.डी. 1987 पेज 140
आर.आर.डी. 1994 पेज 85– विरासत के नामान्तरकरण में कब्जा महत्वपूर्ण नहीं है।

(4) आर.आर.डी. 1998 पेज 391 डी.बी. निर्णय–लडके की अनुपस्थिति में लडकी को अनुसूचित जनजाति में अधिकार प्राप्त होगें।

(5) MPLJ. 2000(2) पेज 441 (म.प्रदेश)–घर जंवाई की स्थिति में भी लडकी को अधिकार प्राप्त होंगे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 28.09.71 ग्राम पंचायत श्रीमा एवं नामान्तरकरण संख्या 40 ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा भरे गए नामान्तरकरण को लेकर है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी सांवल्या की खातेदारी की भूमि थी। विवादित भूमि का सांवल्या निर्विवाद खातेदार था तथा सांवल्या की मृत्यु के उपरान्त उक्त नामान्तरकरण खोले गए हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अपील का मुख्य आधार विवादित भूमि पर कब्जा एवं गोद लिया जाना बताया गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि कथित गोदनामा का निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। कथित गोदनामा के आधार पर यदि अपीलांट के कोई अधिकार होते हैं तो उनका निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। जहॉ तक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने का प्रश्न है इस संबंध में यह स्वीकृत स्थिति है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। धारा 2(2) में इस बारे में प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय में पुत्रियों को विरासत की सम्पत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। परन्तु यदि मृतक खातेदार का कोई पुत्र नहीं है तो विरासत का नामान्तरकरण पुत्रियों के नाम खोले जाने को उचित माना गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि विरासत के नामान्तरकरण में कब्जे का बिन्दु महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि विरासत का नामान्तरकरण विधिक वारिसान के हक में दर्ज किया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 14 एवं 40 के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 उचित प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा का निर्णय दिनांक 14.05.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner